

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप खंड-(iii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

सं० 34 /2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 2017

का.आ. (अ). सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्न सारणी के कॉलम (5) में दिए गए आदेश/अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न सारणी के कॉलम (3) में दी गई कारण बताओ नोटिसों में न्याय-निर्णयन के उद्देश्य के लिए उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित नोटिसियों के बारे में उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सामान्य न्याय-निर्णयन प्राधिकारियों के रूप में काम करने के लिए कॉलम (6) में दिए गए अधिकारियों को नियुक्त करता है यथा-

क्रम सं	नोटिसी का नाम व पता	कारण बताओ नोटिस का नं० एवं दिनांक	न्याय-निर्णयन प्राधिकारी का नाम	आदेश सं० और दिनांक	सामान्य न्याय-निर्णयन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एम/एस रॉयल पॉम (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे सं 169, आरेय मिल्क कॉलोनी, समीप यूनिट नं० 26, गुड़गांव (ई), मुंबई-400065 और अन्य	फाइल नं: सीआईयू/जीइएन/आईएनवी-03/2013 एस/26-एमआईएससी-60/2014-15 VII/जी/जेएनसीएच, दिनांक 23 मई, 2014	आयुक्त सीमाशुल्क(निर्यात) मुंबई, सीमाशुल्क जोन-11, जेएनसीएच	आदेश सं० (एफ०एन० 437/103/2014-सीमाशुल्क-IV) दिनांक- 4.9.2014	आयुक्त सीमाशुल्क , नहावा शेवा-IV जवाहर लाल नेहरू सीमाशुल्क हाउस, नहावा शेवा टैल उड़ान जिला, रायगढ़, महाराष्ट्र
2.	एम/एस रॉयल पॉम (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे सं 169, आरेय मिल्क कॉलोनी, समीप यूनिट	फाइल नं०- एस 45/422/2010 ईपीसीजी सीआईयू/एनसीएच/आईएनवी-03/2013 दिनांक 20 मई, 2014	आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), चेन्नई		

नं० 26, गुडगांव (ई), मुंबई-400065 और अन्य				
--	--	--	--	--

फा.सं. 437/103/2014-सीमा शुल्क-IV

(जेड. आर. कामिली)
निदेशक (सीमा शुल्क)